दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 07-07-2025

सिविल विवाद में एफआईआर, हाई कोर्ट ने कहा- यह कानून का गलत इस्तेमाल

हाई कोर्ट ने सिरगिट्टी थाने में दर्ज एफआईआर और कोर्ट में हुई कार्रवाई को रद्द किया

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

संपत्ति विवाद में दर्ज की गई एफआईआर और आपराधिक कार्यवाही को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि यह कार्रवाई सिविल को आपराधिक रूप देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश थी।

दयालबंद निवासी रामेश्वर जायसवाल व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। अपने खिलाफ सिरगिट्टी थाना में 8 मार्च 2024 को दर्ज एफआईआर और 22 जून 2024 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की कोर्ट में पेश आरोप पत्र को निरस्त करने की मांग की गई थी। बताया कि 27 फरवरी 2024 की शाम एक महिला दो लोगों के साथ उनके घर पहुंचीं और गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी। बाद में बंगाली दादा नामक व्यक्ति के लोगों ने उन्हें धमकाया। साथ ही कहा कि मामला पूरी तरह सिविल विवाद का है। एफआईआर का उद्देश्य केवल 4.56 लाख रुपए की अवैध मांग को पूरा करवाना था। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता संपत्ति के कागजात लौटाने के बदले 4.56 लाख रुपए की मांग कर रहा था। वहीं, राज्य सरकार ने एफआईआर को सही बताया।

हाईकोर्ट ने कहा-सतर्क रहना चाहिए

हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि आपराधिक कानून का इस्तेमाल यहां अनुचित तरीके से दबाव बनाने के लिए किया गया। सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सिविल विवाद को जबरन आपराधिक रंग देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट को बेहद सतर्क रहना चाहिए।

एफआईआर, आपराधिक कार्यवाही रद्द

हाईकोर्ट ने एफआईआर, आरोपपत्र और न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा कि इस तरह के प्रयासों को न्यायालय की शुरुआती ही अवस्था में रोकना आवश्यक है।